न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 427/17 (RCMS No. 2017/00453) (75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. बाबू लाल पुत्र रामचन्द
2. सुशीला पत्नि बाबू लाल

जाति जाट निवासी कुसलपुरा जाटान तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार सवाई माधोपुर
2. अध्यक्ष नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर
3. सचिव नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 25.05.2017

उपस्थितिः—

1. श्री राधेश्याम वैष्णव वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः—29.12.2017**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 25.05.2017 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि अपीलान्ट के भाई रामनारायण जाट निवासी कुतलपुरा जाटान ग्राम पंचायत खटुपुरा को ख0 नं0 74 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा, 35 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा 73 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा आवंटित हुई थी। आवंटन के बाद आवंटित भूमि पर रामनारायण को कब्जा दे दिया था। जैसाकि खसरा गिरदावरी सं0 2034 से 2037 से जाहिर है। रामनारायण की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उसका भाई अपीलान्ट व उसकी पत्नि आज दिनांक तक विवादित आराजी पर निरन्तर काबिज रहकर खेती कर रहे हैं। विवादित आराजी के हाल ख0 नं0 134 रकवा 0.66 है0 व 128 रकवा 0.38 है0 बने है, जो सिवायचक दर्ज कर, नगर विकास न्यास स0 मा0 के नाम दर्ज कर दिये हैं। राजस्व अधिकारियों की गलती के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की जा रही है। रामनारायण के अपीलान्टस वारिस हैं तथा निरन्तर काबिज काश्त हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी से नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर का नाम हटाकर अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करे। प्रार्थना पत्र के संबंध में नगर विकास न्यास स0मा0 ने एक प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी पेश किया तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर यह माना कि नामा0 सं0 142 दिनांक 31.03.89 से सिवायचक दर्ज हो चुकी है, बाद में नगर विकास न्यास स0 माधोपुर

के नाम दर्ज हो चुकी है। अतः अपीलान्ट को खातेदारी दिया जाना उचित नही मानते हुऐ प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 74/5 रकवा 1 बीधा 15 विस्वा, ख0 नं0 35/3 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा, 73/2 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा वांके ग्राम कुतलपुरा जाटान पर जमाबन्दी सं0 2034 से 2037 में अपीलान्ट के भाई रामनारायण पुत्र रामचन्द जाति जाट सा0 देह के नाम दर्ज है। विवादित आराजी रामनारायण को दिनांक 27.06.76 को उप जिला कलक्टर स0 माधोपुर ने आवंटित की थी। तभी से अपीलान्ट के भाई रामनारायण का कब्जा काश्त है तथा भाई के फौत होने के बाद अपीलान्टान का इस आराजी पर निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि आवंटन शुदा होते हुऐ भी बिना किसी कारण व आदेश के राजस्व कर्मचारियों ने सिवायचक दर्ज कर दिया है तथा उसके बाद नगर विकास न्यास के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया है। जबकि उक्त आवंटित भूमि पर निरन्तर आवंटी का कब्जा रहा है तथा उसके बाद अपीलान्टस का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उनका यह भी तर्क है कि विवादित आराजी का जब तक आवंटन निरस्त नही किया जाता तब तक उक्त आराजी को सिवायचक दर्ज नही किया जा सकता है। आवंटन आज भी अपीलान्ट के भाई के नाम है। उनका तर्क है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज नही होने से धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.05.2015 के अनुसार '' विवादित आराजी पर जमाबन्दी सं0 2034 से 2037 के खाता सं0 40 पर रामनारायण पुत्र रामचन्द जाट निवासी कुतलपुरा जाटान की खातेदारी दर्ज है।'' रामनारायण के बाद अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। उक्त आराजी गलत रूप से नगर विकास न्यास के नाम दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबन्दी के इन्द्राजात व तहसीलदार की रिपोर्ट पर गौर नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 का प्रार्थना पत्र गलत रूप से खारिज किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी/ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि खसरा गिरदावरी सं0 2035 से 2038 में विवादित आराजी रामनारायण पुत्र रामचन्द के नाम गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी नामा0 सं0 142 दिनांक 31.03.89 से सिवायचक दर्ज की गई है तथा नामान्तरकरण सं0 72 दिनांक 10.10.14 से नगर विकास न्यास स0 मा0 के नाम दर्ज की गई है। खसरा परिवर्तनशील सं0 2066 से भी अपीलान्ट का कब्जा जाहिर है परन्तु उक्त आराजी नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हो चुकी है। इसलिये अपीलान्ट का कब्जा एक अतिक्रमी की हैसियत से ही माना जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने नगर विकास न्यास के नाम दर्ज होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र विधिसम्मत् खारिज किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी ख0 नं0 74/5 रकवा 1 बीधा 15 विस्वा, ख0 नं0 35/3 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा, 73/2 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा जिसके हाल ख0 नं0 128 रकवा 0.38 एवं 134 रकवा 0.66 वांके ग्राम कुतलपुरा जाटान बने हैं, का आवंटन अपीलान्ट के भाई रामनारायण पुत्र रामचन्द को दिनांक 27.06.76 को हुआ था। जमाबन्दी सं0 2034 से 2037 में अपीलान्ट के भाई रामनारायण पुत्र रामचन्द जाति जाट सा0 देह के नाम दर्ज है। उक्त आवंटित भूमि को बिना किसी कारण एवं बिना किसी आदेश के राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया जो क्षेत्राधिकार से बाहर होने से विधि विरूद्ध है। राजस्व रिकार्ड में सिवायचक होने से नामा0 सं0 72 से नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर के नाम दर्ज कर दिया। जबकि आवंटन आदेश यथावत है। आवंटन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है इसलिये जब तक आवंटन निरस्त नही हो जाता तब तक आवंटी का नाम बदस्तूर चलता रहेगा तथा खातेदार का नाम

Web Copy - Not Official

कलमजन कर आवंटित भूमि को सिवायचक दर्ज नही किया जा सकता है। इस संबंध में पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 04.08.14 का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि ''विवादित आराजी पर रामनारायण पुत्र रामचन्द जाट निवासी कुतलपुरा जाटान जमाबन्दी सं0 2034 से 2037 के खाता नं0 40 पर खातेदारी दर्ज है। जिसके हाल ख0 नं0 134 रकवा 0.66 है0 व 128 रकवा 0.38 है0 बने हैं जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। उपरोक्त खातेदार रामनारायण पुत्र रामचन्द जाट का भाई बाबू लाल पुत्र रामचन्द जाट व उसकी पत्नि सुशीला पत्नि बाबूलाल जाट का कब्जा होकर काश्त करते आ रहे हैं। जिनकी प्रत्येक वर्ष धारा 91 की रिपोर्ट की जाती आ रही है। ''तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 15.05.2015 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का आवंटन रामनारायण पुत्र रामचन्द जाट निवासी कुतलपुरा जाटान को हुआ था। जमाबन्दी सं0 2034 से 2037 के खाता सं0 40 पर खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त आराजी पर रामनारायण पुत्र रामचन्द जाट का भाई बाबू लाल पुत्र रामचन्द जाट व उसकी पत्नि सुशीला पत्नि बाबू लाल जाट का कब्जा है।'' उक्त दोनों रिपोर्टों से यह स्थिति सामने आती है कि विवादित आराजी का आवंटन रामनारायण को हुआ था जो जमाबन्दी सं0 2034 से 2037 में खातेदार दर्ज है। रामनारायण की मृत्यु के बाद उसका भाई व उसकी पत्नि अपीलान्टान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी को बिना किसी आदेश के सिवायचक दर्ज कर दिया तथा सिवायचक दर्ज होने से नगर विकास न्यास के नाम दर्ज कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। जब तक आवंटन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता तब तक वह आवंटन एवं आवंटी का नाम यथावत रहेगा। चूकि खातेदार रामनारायण पुत्र रामचन्द फौत हो चुका है और उसके वारिस उसका भाई व भाभी बाबू लाल पुत्र रामचन्द व सुशीला पत्नि बाबूलाल काबिज आराजी हैं इसलिये रामनारायण के स्थान पर अपीलान्टान का नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा नामा0 सं0 142 दिनांक 31.03.89 एवं नामा0 सं0 72 दिनांक 10.10.14 निरस्त किये जाते हैं तथा विवादित आराजी हाल ख0 नं0 134 रकवा 0.66 है0 व 128 रकवा 0.38 है0 वॉके ग्राम कुतलपुरा जाटान पर हाल इन्द्राज निरस्त कर अपीलान्ट बाबूलाल पुत्र रामचन्द व सुशीला पत्नि बाबूलाल जाति जाट निवासी कुतलपुरा जाटान सा0 देह बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official